न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **323/2020** दायर दिनाँक **17.12.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. कन्हैयालाल पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी मैदासरबास डीडवाना जिला नागौर।	**बनाम्**	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणात्मक, आदेशात्मक व्यादेश व रिकॉर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा— 88 R.T.Act. , 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्रीमती संतोष जाजू वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **21.07.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, मौजा डीडवाना के खेत खसरा सं. 1680 रकबा 16 बीघा 12 बिश्वा भूमि अवस्थित है। वादी ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 16.01.2014 को विक्रेतागण शान्तिदेवी, मोतीलाल माली, पूर्णमल माली व दुर्गाराम माली से 8,00,000/— रू में खरीदी थी। उक्त भूमि क्रेतागण के स्वामित्व की तथा कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग की थी तथा खरीद करने के पश्चात से उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग है तथा वादी ही उक्त भूमि का स्वामी है। उक्त विक्रय पत्र को प्रतिवादी ने पंजीयन अधिकारी की हैसियत से निष्पादित किया था। वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करने को कहा गया, लेकिन प्रतिवादी ने अभी तक वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण नहीं भरा है। वादी द्वारा दिनांक 03.01.2020 को अंतिम बार प्रतिवादी को नामान्तकरण भरने के लिए कहा गया, लेकिन प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया। अतः यह वाद घोषणात्मक, आदेशात्मक व्यादेश व रिकॉर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :—

मौजा डीडवाना के खसरा नम्बर 1680 रकबा 16 बीघा 12 बिश्वा भूमि वादी द्वारा दिनांक 16.01.2014 को विक्रय पत्र के द्वारा खरीदी गई है, वादी के नाम घोषित की जावे तथा उक्त भूमि के लिए प्रतिवादी को इस आशय का आदेश दिया जावे कि वादी के नाम नामान्तकरण भरकर पूर्व में दर्ज खातेदार (विक्रेतागण) का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे तथा वादी का खसरा अलग दर्ज किया जावे तथा वाद का समस्त खर्चा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद तामिली अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में वादी स्वयं का एवं रमेशचन्द्र पुत्र बालूराम जाति माली निवासी मैदासरबास, सूपका रोड डीडवाना, सुनिल कुमार पुत्र रामगोपाल जाति माली निवासी मैदासरबास सूपका रोड डीडवाना का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में बताया कि वाद वर्णित भूमि केतागण के स्वामित्व की तथा कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग की थी तथा खरीद करने के पश्चात् से उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग है तथा वादी ही उक्त भूमि का स्वामी है। उक्त विकय पत्र प्रतिवादी ने पंजीयन अधिकारी की हैसियत से निष्पादित किया था। वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी को रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करने को कहा गया लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण नहीं भरा गया। दिनांक 03.01.2020 को अंतिम बार वादी द्वरा प्रतिवादी को नामान्तकरण भरने के लिए कहा गया, लेकिन प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया। अतः वादी घोषणात्मक वाद के द्वारा यह घो[illegible] खसरा संख्या 1680 के नये खसरा संख्या 654 है जो कि वादी का खरीद किया हुअ[illegible] गलती से उक्त जमाबंदी में छोटीदेवी, मूलीदेवी व हस्तुदेवी का नाम आय[illegible] दिनांक 30.01.2014 को किया जो दिनांक 25.06.2019 को अदम [illegible] अदम हाजिरी [illegible]रिज कर दिया। फिर भी इन तीनों के नाम का गलत नामान्तकरण भर दि[illegible] आवश्यक है। तथा [illegible] अकेले के नाम खसरा संख्या 1680 नये खसरे नं. 654 का नामा[illegible] भरा जावे। दिनांक 16.01[illegible] को वादी के द्वारा खरीदशुदा भूमि का विकय पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। वादी ने जमाबंदी संवत् 2070—73 प्रदर्श—1, विकय पत्र की प्रति प्रदर्श—2, जमाबंदी संवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:13:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

2078–81 प्रदर्श–3, नजरी नक्शा प्रदर्श–4, वाद संख्या 24/2014 की आदेशिका दिनांक 25.06.2019 प्रदर्श–5, वाद संख्या 24/2014 के वाद की प्रति प्रदर्श–6 करवाये गये।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि वादी द्वारा वाद वर्णित खसरा संख्या 1680 की भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रेतागण से खरीद की गई है जिस पर वादी का कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग है तथा वादी ही उक्त भूमि का स्वामी है अतः खसरा संख्या 1680 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि का वादी खातेदार किया जावे लेकिन गलती से उक्त जमाबंदी में छोटीदेवी, मूलीदेवी व हस्तुदेवी का नाम आया है जिसे हटाया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया एवं तत्समय विधि का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा खसरा संख्या 1680 (नया 654) रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 16.01.2014 द्वारा खरीद की गई है। वादी पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर वादी को खसरा संख्या 1680 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाना एवं न्यायोचित है।

–:आदेश :–

मौजा डीडवाना के खसरा संख्या 1680 (नया 654) रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि का वादी पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 16.01.2014 के अनुसार स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है एवं अन्य खातेदार छोटीदेवी, मूलीदेवी व हस्तुदेवी का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनाँक **21.07.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:13:07 IST
Reason: SelfAttested